



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102024-258130
CG-DL-E-22102024-258130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2024/आश्विन 30, 1946

No. 183]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2024/ASVINA 30, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2024

आ. अ. 194(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान करने और मतों के अभिलेखन का यथाविहित ऐसा तरीका अपनाया जाए, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट किया जाए;

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित ऐसे डिजाइन वाला ड्रॉप बॉक्स युक्त एक प्रिंटर भी, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मत के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए;

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/149/2024 और सं. ईसीआई/पीएन/150/2024 दोनों दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 के जरिए घोषित झारखंड और महाराष्ट्र की विधान सभाओं के लिए वर्तमान आम चुनावों और 48 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उप-निर्वाचनों (संग्रक-1 के अनुसार) में सभी परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) और पेपर ट्रेल [मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं। मतदान कार्मिक ईवीएम और 'वीवीपैट प्रिंटरों' को कुशलतापूर्वक संभालने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और मतदाता भी ईवीएम और वीवीपैट प्रिंटरों के प्रचालन से पूर्ण रूप से अवगत हैं।

4. अब, इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, झारखंड में 18.10.2024 & 22.10.2024 को अधिसूचित किए जाने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और महाराष्ट्र में 22.10.2024 को अधिसूचित किए जाने वाले सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों की 47 विधानसभा क्षेत्रों और 18.10.2024 को अधिसूचित किए जाने वाले केरल में वयनाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र; 22.10.2024 को अधिसूचित किए जाने वाले उत्तराखंड के केदारनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा महाराष्ट्र के नांदेड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (संलग्नक-1 के अनुसार), को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिनमें निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटरो के माध्यम से मत डाले और अभिलिखित किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, एतद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरो, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और अभिलिखित करने के लिए उक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है।

[सं. 576/3/ईवीएम/2024/एसडीआर/खण्ड-I]

आदेश से,

एस.बी. जोशी, प्रधान सचिव

अनुलग्नक-I

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	असम	11-धोलाई(अ.जा.)वि.स.नि.क्षे.
2.		31-सिडली(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
3.		32-बोंगईगांव वि.स.नि.क्षे.
4.		77-बेहाली वि.स.नि.क्षे.
5.		88-सामगुडी वि.स.नि.क्षे.
6.	बिहार	196-तरारी वि.स.नि.क्षे.
7.		203-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे.
8.		227-इमामगंज(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
9.		232-बेलागंज वि.स.नि.क्षे.
10.	छत्तीसगढ़	51-रायपुर नगर दक्षिण वि.स.नि.क्षे.
11.	गुजरात	7-वाव वि.स.नि.क्षे.
12.	कर्नाटक	83-सिग्गाओं वि.स.नि.क्षे.
13.		95-सन्दुर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
14.		185-चन्नापटना वि.स.नि.क्षे.
15.	केरल	56-पालाक्काड वि.स.नि.क्षे.
16.		61-चेलाक्करा (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
17.		4-वायनाड सं.नि.क्षे.
18.	मध्य प्रदेश	156-बुधनी वि.स.नि.क्षे.
19.		02-विजयपुर वि.स.नि.क्षे.

20.	महाराष्ट्र	16-नांदेड सं.नि.क्षे.
21.	मेघालय	56-गम्बेगरे(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
22.	पंजाब	10-डेरा बाबा नानक वि.स.नि.क्षे.
23.		44-चब्बेवाल(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
24.		84-गिद्दबाहा वि.स.नि.क्षे.
25.		103-बरनाला वि.स.नि.क्षे.
26.		27-झुन्झुनू वि.स.नि.क्षे.
27.	राजस्थान	67-रामगढ़ वि.स.नि.क्षे.
28.		88-दौसा वि.स.नि.क्षे.
29.		97-देवली-उनियारा वि.स.नि.क्षे.
30.		110-खीवसर वि.स.नि.क्षे.
31.		156-सलूमबर(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
32.		161-चोरासी(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
33.	सिक्किम	07-सोरेंग-चाकुंग वि.स.नि.क्षे.
34.		11-नामची-सिंघीथांग वि.स.नि.क्षे.
35.	उत्तर प्रदेश	16-मीरापुर वि.स.नि.क्षे.
36.		29-कुन्दरकी वि.स.नि.क्षे.
37.		56-गाजियाबाद वि.स.नि.क्षे.
38.		71-खैर(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
39.		110-करहल वि.स.नि.क्षे.
40.		213-सीसामऊ वि.स.नि.क्षे.
41.		256-फूलपुर वि.स.नि.क्षे.
42.		277-कटेहरी वि.स.नि.क्षे.
43.		397-मझवां वि.स.नि.क्षे.
44.	उत्तराखण्ड	07-केदारनाथ वि.स.नि.क्षे.
45.	पश्चिम बंगाल	06-सिताई(अ.जा.) वि.स.नि.क्षे.
46.		14-मदारीहाट(अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.
47.		104-नईहटी वि.स.नि.क्षे.
48.		121-हरोआ वि.स.नि.क्षे.
49.		236-मेदीनिपुर वि.स.नि.क्षे.
50.		251-तालदनगरा वि.स.नि.क्षे.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

New Delhi, the 17h October, 2024

O.N. 194(E).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency

or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **current general elections to the Legislative Assemblies of Jharkhand & Maharashtra and bye elections to 48 Assembly Constituencies and 2 Parliamentary Constituencies (as per Annexure-1) announced vide the Election Commission's Press Notes No. ECI/PN/149/2024 and No. ECI/PN/150/2024 both dated 15th October, 2024**, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in the above said Assembly Constituencies. The polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby **specifies the Assembly Constituencies in Jharkhand to be notified on 18.10.2024 & 22.10.2024; all the Assembly Constituencies in Maharashtra to be notified on 22.10.2024; 47 Assembly Constituencies in various States and Wayanad Parliamentary Constituency in Kerala to be notified on 18.10.2024; Kedarnath Assembly Constituency in Uttarakhand and Nanded Parliamentary Constituency in Maharashtra to be notified on 22.10.2024 (as per Annexure-1)**, as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

[No. 576/3/EVM/2024/SDR-Vol.-I]

By Order,

S.B.JOSHI, Principal Secy.

Annexure-1

Sl. No.	Name of State	Assembly Constituency No./Parliamentary Constituency No. & Name
1.	Assam	11-Dholai(SC) AC
2.		31-Sidli(ST) AC
3.		32-Bongaigaon AC
4.		77-Behali AC
5.		88-Samaguri AC
6.	Bihar	196-Tarari AC
7.		203-Ramgarh AC
8.		227-Imamganj(SC) AC
9.		232-Belaganj AC
10.	Chhattisgarh	51-Raipur City South AC
11.	Gujarat	7-Vav AC
12.	Karnataka	83-Shiggaon AC
13.		95-Sandur(ST) AC
14.		185-Channapatna AC
15.	Kerala	56-Palakkad AC
16.		61-Chelakkara(SC) AC
17.		4-Wayanad PC

18.	Madhya Pradesh	156-Budhni AC
19.		02-Vijaypur AC
20.	Maharashtra	16-Nanded PC
21.	Meghalaya	56-Gambegre(ST) AC
22.	Punjab	10-Dera Baba Nanak AC
23.		44-Chabbewal(SC) AC
24.		84-Gidderbaha AC
25.		103-Barnala AC
26.	Rajasthan	27-Jhunjhunu AC
27.		67-Ramgarh AC
28.		88-Dausa AC
29.		97-Deoli-Uniara AC
30.		110-Khinwsar AC
31.		156-Salumber(ST) AC
32.		161-Chorasi(ST) AC
33.	Sikkim	07-Soreng-Chakung AC
34.		11-Namchi-Singhithang AC
35.	Uttar Pradesh	16-Meerapur AC
36.		29-Kundarki AC
37.		56-Ghaziabad AC
38.		71-Khair(SC) AC
39.		110-Karhal AC
40.		213-Sishamau AC
41.		256-Phulpur AC
42.		277-Katehari AC
43.		397-Majhawan AC
44.	Uttarakhand	07-Kedarnath AC
45.	West Bengal	06-Sitai(SC) AC
46.		14-Madarihat(ST) AC
47.		104-Naihati AC
48.		121-Haroa AC
49.		236-Medinipur AC
50.		251-Taldangra AC